

न्यायालय उपरकोट - मोजस्ट्रेट, कोयंबूर
साकार बनाम सुशील
 मुकदमा संख्या/वर्ष 14 133 आठ फॉ 120
2018

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12 ⁴ / ₁₉	<p>पुत्रावली आज्ञा पेश दुर्गजर-सापल उपास्थित । संक्षेप है: प्रकरण इस प्रकार है कि धानादिवाले कोयंबूर नगर इस्लामा अन्तर्गत धारा 133 आठ फॉ इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया है कि गैरलापल ने अपनी दुकान का सामान कम रास्ते पर रक्का रास्ते के अन्दर बा पड़ा है जो पब्लिक न्यूसेंस की क्षेणी है आता है।</p> <p>प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र। इस्लामा दर्ज रजिस्ट्र किया गया गैर लापल को नोटिस जारी किया गया। सूचना उपरान्त गैरलापल उपास्थित आया, तथा जबकि पेश का निवेदन किया कि अप्रार्थी इस विषय प्रवा व अति बरण नहीं किया है, मदा गैर लापल के अन्दर बा पड़ा है किता वरफवाही होप भी जाये।</p> <p>इसने गैरलापल के सुनाये</p>

कोयंबूर (मजुर)

फर्द अहकाम

उपखण्ड - माजिस्ट्रेट, कोटपूरली

साला बनाम सुशील

व्या/वर्ष

इस्तिलाहा 133 ऑर फॉर 14
2018

नांक आज्ञा
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट
का अवलोकन किया। जहाँ आपल
के अर्जाक वधन पर 15.0 मी
पालिका कोटपूरली के निदेश
दिने जाते हैं, कि वह प्रशा-
सन मीका स्थल का निर्माण
करे और यदि 20 मी-20 मी
अर्जा प्राप्त जावे, तो उसके
द्वारा प्रभाव है दयाया जावे।
पालिका रिपोर्ट इस माफालय
को पेश करे, तथा जहाँ आपल
अविषय से अतिरिक्त नहीं
करे उसके पावत किया जावे।
उक्त आशय की पालनार्थ
तय्यार जापी है। पत्रावली
केवल अर्जा केवल दर्ज नहीं
के कम है, तथा अर्जा का
वाही दायित्व दपता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कोटपूरली (जयपुर)